कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बलिया।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी अधिकारी, इलाहाबाद के पत्र संख्या–43213–287/दस–लाइसेंस–367/सूझाव आबकारी नीति/2018–19/इलाहाबाद दिनांक 01.03.2018 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या–185 जि0आ0अ0/वलिया/व्यवस्थापन/2018–19/आबकारी दुकान/दिनांक 19.02.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु देशी शराब की 142, विदेशी मदिरा की 46, बीयर की 47 फुटकर बिक्री की दुकानों एवं 02 मॉडलशाप के व्यवस्थापन हेतु समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया था। आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या–46097/दस–लाइसेंस–367/सूझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक मार्च, 17, 2018 के द्वारा समय सारणी को निम्नवत पुर्ननिर्धारित किया जाता है :–

क0सं0	प्रथम चरण	तिथि
1.	ई–लॉटरी की तिथि/समय	19.03.2018 दिन सोमवार को सायं 04:00 बजे से
2.	ई–लॉटरी स्थल	विकास भवन सभागार, बलिया।

क0सं0	द्वितीय चरण	तिथि
1.	प्रथम चरण के पश्चात् अवशेष देशी शराब विदेशी मदिरा बीयर की दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के व्यवस्थापन के लिए ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से
2.	द्वितीय चरण में आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनाक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
3.	ई–लॉटरी की तिथि/समय	26.03.2018 दिन सोमवार को प्रातः 09:00 बजे से
4.	ई–लॉटरी स्थल	विकास भवन सभागार बलिया।

भांग की फुटकर दुकानों की निलामी हेतु समय सारणी–

क0सं0	विवरण	तिथि
1	जनपद–बलिया की भांग की फुटकर दुकानों की निलामी की तिथि एवं समय	21.03.2018 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से
2	निलामी स्थल	कलेक्ट्रेट सभागार, बलिया।

यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान तथा मॉडलशाप्स के लाईसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाईसेंस फीस/लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

तद्नुसार इस कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक मार्च, 03, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। ई–लाटरी से संबन्धित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाईड **upexciseelottery.gov.in** के अतिरिक्त जिले के बेवसाईड **ballia.nic.in** पर देखा जा सकता हैं। ई–लाटरी से संबन्धित जानकारी हेल्प डेस्क मोबाईल नम्बर **9454466199 एवं 9454466200** पर प्राप्त कर सकते है। अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

17.03.18

जिला आबकारी अधिकारी
बलिया।

Scanned by CamScanner